विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-29/16

मेसर्स अंजना एसोसियेट — आवेदक
प्लाट नं. 27–बी ब्लॉक, हरिओम कॉलोनी
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व) संभाग — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 17.05.2017 को पारित)

01 आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर के आदेश दिनांक 11.2.2017 के संदर्भ में एवं विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के प्रकरण क्रमांक– सी 0034309/2009 मेसर्स अंजना एसोसियेट विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (पूर्व) संभाग, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ग्वालियर में पारित आदेश दिनांक 05.12.2009 के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन दिनांक 8.3.2017 को प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–29/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 25.04.2017 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण से संबंधित विवादित राशि रूपये 5,41,238/– का 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने के कारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.37 के तहत प्रकरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। आवेदक द्वारा इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। अतः अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 9.5.2017 नियत की गई।

04 दिनांक 9.5.2017 को पुनः प्रकरण में सुनवाई हेतु आवेदक एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री अवधेश त्रिपाठी, डीजीएम, सिटी, ग्वालियर एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

05 सुनवाई के दौरान अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा पुनः विवादित राशि का 50 प्रतिशत जमा नहीं करने पर अपील निरस्त करने का मुद्दा उठाया। अतः इस संबंध में कोई निर्णय

लेने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.12.2009 में उपरोक्त विवादित राशि की वसूली पर स्टे आदेश जारी किया था तथा दिनांक 11.2.2017 को अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रकरण में निराकरण हेतु अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा अपने आदेश में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया कि पूर्व में दी गई अंतरिम राहत जब तक प्रभावशील रहेगी तब तक कि याचिकाकर्ता विद्युत लोकपाल को अपील प्रस्तुत नहीं करता तथा इसके पश्चात याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता रहेगी कि वे उक्त विवादित राशि पर स्टे देने हेतु विद्युत लोकपाल को आवेदन प्रस्तुत करें।

06 आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार विवादित राशि पर स्टे लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कि अनावेदक द्वारा विद्युत देयक माह सितंबर 2009 में विवादित राशि रूपये 5,41,238/– बकाया राशि के तौर पर विद्युत देयक में जोड़ी गई थी। (आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्टे आवेदन के एनेक्सर ए–1 एवं ए–2)

07 आवेदक द्वारा दिनांक 8.3.2017 को प्रकरण के निराकरण हेतु अपील भी प्रस्तुत की है जिसमें दिये गये विवरण के अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा उनके विद्युत कनेक्शन के लिए स्वीकृत लाईन चार्ज करने हेतु चार्जिंग परमीशन समय पर प्रस्तुत कर दी गई परन्तु तकनीकि आधार पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा आपत्ती लिये जाने पर अनावेदक द्वारा उपरोक्त लाईन चालू नहीं की जा सकी तथा अनावेदक को संपूर्ण स्थिति ज्ञात होने के पश्चात भी उनके द्वारा अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 की अवधि तक का न्यूनतम बिलिंग प्रतिमाह की डिमाण्ड सितंबर 2009 के बिल में जोड़कर दी गई,(ओई–1) जो कि प्रथम दृष्टया उचित नहीं पाई गई। अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उपरोक्त विवादित राशि की वसूली पर स्टे दिया जाकर सुनवाई जारी रखने हेतु निर्देशित किया गया।

08 अनावेदक द्वारा उपरोक्त प्रारंभिक आपत्ति के साथ–साथ दिनांक 9.5.2017 को ही प्रकरण में अपनी लिखित वहस प्रस्तुत की जिसके अनुसार –

अ आवेदक के विद्युत कनेक्शन 100 केवीए संविदा भार हेतु स्वीकृति दिनांक 7.3.2008 को दे दी गई थी। (ओई–2)

ब आवेदक द्वारा 1.2 किलोमीटर 33 केवी लाईन का कार्य एयरफोर्स फीडर से टेप कर स्वयं के व्यय पर किया जाना था जिसके लिए उनके द्वारा रूपये 27,243/– की राशि बतौर सुपरवीजन चार्ज दिनांक 29.3.2008 को जमा करा दी गई थी। (ओई–3)

स आवेदक द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्ण कर दिनांक 11.8.2008 को विद्युत सुरक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा दी गई अनुमति प्रस्तुत कर दी गई। (ओई–4)

द उपरोक्त अनुमति पर जब प्रस्तावित लाईन को जहॉ से टेप किया जाना था जब से अनावेदक लाईन जोड़ने गये तब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारी द्वारा आपत्ति

लेने के कारण लाईन नहीं जोड़ा जा सकी । जिसके कारण नई निर्मित लाईन पर विद्युत प्रवाह नहीं हो सका। (ओई–6)

च अनावेदक द्वारा लिखित वहस में यह भी बताया गया कि अनुबंध पत्र की कंडिका 22(बी) के तहत आवेदक को 90 दिन का नोटिस दिनांक 8.9.2009 को जारी किया गया जिसकी अवधि पूर्ण होने पर बिलिंग प्रारंभ कर दी गई। इस कारण मांग की गई राशि किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है और नियमानुसार वसूल करने के लिए अनावेदक को अधिकार प्राप्त है। (ओई–5)

छ अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस में यह भी स्पष्ट किया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 21.8.2009 को लाईन चार्जिंग अनुमति ए–क्लास ठेकेदार की रिपोर्ट दिनांक 19.8.2009 को प्रस्तुत की गई थी जिसके अनुसार उन्हें विद्युत कनेक्शन दिनांक 8.9.2009 को दे दिया गया जिसके अनुसार टैरिफ मिनिमम के अंतर्गत बिलिंग की गई जो नियमानुसार उचित एवं सही है।

ज अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा जो मिनिमम राशि की बिलिंग को निरस्त करने की अपील की गई है वह न्यायसंगत नहीं है क्योंकि अनावेदक द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार 3 माह की अवधि में विद्युत लाईन का कार्य पूर्ण किया जाना था तथा आवेदक द्वारा विवादित लोकेशन से लाईन जोड़ने में आवेदक द्वारा विलंब किया गया जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार है। इस कारण न्यूनतम बिल की राशि को निरस्त कराने का अधिकार आवेदक को नहीं है।

झ अनावेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि लाईन निर्माण कार्य तथा चार्जिंग करने का कार्य अनावेदक द्वारा कराया जाता एवं उनके द्वारा लाईन चार्ज करने में विलंब किया जाता तब इस दशा में आवेदक न्यूनतम बिलिंग को समाप्त कराने का हकदार होता।

09 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया कि–

अ उनकी 100 केवीए संविदा भार की विद्युत स्थापना के विद्युतीकरण के लिए अनावेदक द्वारा उन्हें प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया था जिसमें कि उनकी विद्युत स्थापना हेतु प्रस्तावित लाईन को 33 केवी एयरफोर्स फीडर से टेप किया जाना था, उनके द्वारा प्राक्कलन में दर्शाये गये नक्शे के अनुसार ही विद्युत लाईन डाली गई। (ओई–3)

ब आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य उनके द्वारा स्वयं के व्यय से कराया जाना था तथा जिसका सुपरवीजन अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा किया जाना था जिस हेतु उनसे रू. 27,243/– सुपरवीजन चार्जेंस जमा कराये गये थे। लाईन कार्य के निर्माण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी विद्युत लाईन गलत जगह से टेपकी गई नहीं बताया गया और ना ही विद्युत लाईन के ले आउट पर आपत्ति ली गई।

स उक्त लाईन का कार्य समाप्त होने पर स्वीकृत आदेश के तहत आवेदक द्वारा विद्युत सुरक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा लाईन चार्जेस परमीशन अनावेदक को दिनांक 11.8.2008 को प्रस्तुत कर दिया गया। (ओई–4)

द आवेदक द्वारा बताया गया कि चार्जिंग परमीशन प्रस्तुत करने के पश्चात विद्यमान 33 केवी एयर फोर्स फीडर से जो कि चालू लाईन है, से हमारे द्वारा निर्मित लाईन को जोड़ने की जबावदारी अनुज्ञप्तिधारी की थी एवं जब अनुज्ञप्तिधारी विद्युत लाईन जोड़ने गये तब मिलिट्री इंजीनियरिंग के अधिकारी द्वारा उन्हें लाईन नहीं जोड़ने दी (ओई–6)। यह अनुज्ञप्तिधारी की जबावदारी थी कि वे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों से पत्राचार कर उपरोक्त आपत्ति का निराकरण करा कर लाईन चार्ज करनी थी, क्योंकि हमारे द्वारा तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन एवं नक्शे अनुसार विद्युत लाईन का कार्य किया गया, परन्तु अनावेदक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

10 आवेदक द्वारा यह बताया गया कि जब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस विभाग द्वारा लाईन चालू नहीं करने दी तब उनके द्वारा अन्य विकल्प देखकर दूसरी जगह से लाईन डाली गई उसके लिए अनावेदक द्वारा ना तो कोई संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया और ना ही दूसरे मार्ग से लाईन डालने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई आपत्ति ली गई।

11 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह अवगत कराया गया कि चूंकि वैकल्पिक मार्ग में किसानों के खेत थे तथा उसमें किसानों द्वारा फसल बोई गई थी जिस कारण लाईन डालने में देरी हुई तथा फसल कटने पर विद्युत लाईन डाली गई तथा इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, म.प्र.शासन चार्जिंग परमीशन प्रस्तुत किया गया। अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी द्वारा लाईन चार्ज करने के पश्चात दिनांक 2.9.2009 को आवेदक के परिसर में मीटर एवं मीटरी इक्यूवमेंट लगाये जाने की सूचना कार्यपालन यंत्री, पूर्व संभाग, ग्वालियर को दिनांक 2.9.2009 को दी गई जिसके उपरांत 8.9.2009 को विद्युत कनेक्शन जारी किया गया। (ओई–7)

12 उपरोक्त उभय पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आये–

अ आवेदक द्वारा 100 केवीए संविदा मांग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर 7.3.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई। (ओई–2)

ब स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार विद्यमान 33 केवी एयर फोर्स फीडर से टेप करके 1.2 किलोमीटर लाईन डाली जानी थी। (ओई–3)

स आवेदक द्वारा अनुबंध दिनांक 6.6.2008 को निष्पादित किया गया। (ओई–5)

द आवेदक द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर उक्त कार्य करने हेतु 5 प्रतिशत सुपरवीजन की राशि रूपये 27,243/– दिनांक 29.3.2008 को जमा करा दी गई।

13 अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के संविदा मांग की स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से 90 दिन के अंदर लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण करना होगा तथा विस्तार कार्य पूर्ण होने पर अनावेदक विद्युत उपलब्धता की सूचना हेतु 90 दिन का नोटिस आवेदक को जारी करेगा।

14 आवेदक द्वारा निष्पादित अनुबंध की विशेष कंडिका 22(बी) के अनुसार विद्युत उपलब्धता के नोटिस की 90 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात चाहे कार्य पूर्ण हुआ हो अथवा नहीं न्यूनतम चार्ज का बिल प्रारंभ कर दिया जाएगा जिसका कि भुगतान आवेदक को करना होगा।

15 आवेदक द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार लाईन पूर्ण कर उसे प्रथम बार चार्ज करने की अनुमति विद्युत सुरक्षा विभाग, म.प्र. शासन से प्राप्त कर दिनांक 11.8.2008 को अनावेदक को प्रस्तुत कर दी गई थी।

16 अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी द्वारा दिनांक 8.9.2008 को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा बिछाई गई लाईन को एमईएस के अधिकारी द्वारा विद्यमान 33 केवी लाईन से नहीं जोड़ने दिया गया, इसलिए कार्य अपूर्ण है। (ओई–6)

17 अनावेदक द्वारा दिनांक 8.9.2008 को विद्युत उपलब्ध होने के संबंध में 90 दिन की अवधि का नोटिस आवेदक को जारी किया। (ओई–8)

18 आवेदक एवं अनावेदक के बीच दिनांक 6.6.2008 को अनुबंध निष्पादित किया गया तथा अनुबंध की कंडिका 22 (बी) के अनुसार आवेदक को 90 दिन के अंदर कार्य पूर्ण करना था अर्थात 5.9.2008 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। जबकि आवेदक द्वारा 11.8.2008 को ही कार्य पूर्ण कर चार्जिंग परमीशन प्रस्तुत कर दी थी। कार्य पूर्ण होने की सूचना देने की तिथि के पश्चात अनावेदक को विद्युत उपलब्धता हेतु 90 दिन की अवधि का नोटिस आवेदक को जारी किया जाना था जिसके अनुसार यह अवधि 5.12.2008 को समाप्त होती जिसके पश्चात ही अनावेदक को मासिक न्यूनतम राशि की बिलिंग प्रारंभ की जा सकती थी, परन्तु अनावेदक द्वारा अक्टूबर 2008 से ही बिलिंग प्रारंभ कर दी। परन्तु तथ्य तो यह है कि आवेदक द्वारा निर्मित लाईन को अनावेदक द्वारा चार्ज नहीं की गई जिससे आवेदक के परिसर तक विद्युत उपलब्ध ही नहीं थी। अतः अनावेदक द्वारा अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 तक की गई न्यूनतम राशि की बिलिंग अवैध है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि–

19 अनावेदक द्वारा आवेदक के औद्योगिक विद्युत कनेक्शन को विद्युतीकरण करने हेतु विद्यमान 33 केवी एयर फोर्स फीडर से टेप कर 1.2 किलोमीटर लाईन डालने की स्वीकृति दी गई थी। उक्त कार्य अनावेदक के सुपरवीजन में आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर ए–क्लास विद्युत ठेकेदार से कराया जाना था जिसके लिए सुपरवीजन चार्ज आवेदक द्वारा जमा करा दिया गया।

20 आवेदक एवं अनावेदक के बीच अनुबंध दिनांक 6.6.2008 को निष्पादित हुआ जिसके पश्चात 90 दिन में लाईन बिछाने का कार्य आवेदक द्वारा पूरा किया जाना था। आवेदक द्वारा उक्त कार्य पूर्ण कर दिनांक 11.8.2008 को कार्यपालन यंत्री को लाईन चार्ज करने की अनुमति प्रस्तुत कर दी गई थी। अर्थात निर्माण कार्य अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से 2 माह 5 दिन की अवधि में पूर्ण कर दिया गया था। आवेदक द्वारा प्राक्कलन में दर्शाये नक्शे के अनुसार 33 केवीए एयर फोर्स फीडर से लाईन टेप की गई, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाईन निर्माण के दौरान सुपरवीजन के दौरान टेपिंग लोकेशन बाबत कोई आपत्ति नहीं ली गई।

21 चूंकि 33 केवी एयर फोर्स फीडर चालू फीडर है अतः नई बिछाई गई लाईन को उससे जोड़ने की जबावदारी अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक की थी।

22 अनावेदक द्वारा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारियों से लाईन टेप करने के बिन्दु पर चर्चा कर सहमति लेने के उपरांत ही प्राक्कलन स्वीकृत करना था क्योंकि एयर फोर्स फीडर पूर्ण रूप से मिलिट्री इंजनियरिंग सर्विस को विद्युत प्रदाय करता है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है। अतः आवेदक की इसमें कोई जबावदेही नहीं बनती की उनके द्वारा एमईएस से पूर्व में सहमति क्यों नहीं प्राप्त की गई। यह व्यवहारिक भी है कि यदि आवेदक एमईएस से सहमति चाहता तो भी एमईएस उसे सहमति नहीं देती।

23 तर्क के दौरान यह बात ज्ञात हुई कि अनावेदक द्वारा एमईएस अधिकारी द्वारा लाईन टेप करने से मना करने पर उनसे पत्राचार अथवा संपर्क कर समस्या के निराकरण हेतु कोई पहल नहीं की गई और ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

24 आवेदक द्वारा बिछाई गई लाईन को चार्जिंग की अनुमति देने के पश्चात लाईन चार्ज करने की जबावदारी निश्चित तौर पर अनावेदक की है अतः यह कहना कि एमईएस द्वारा नई लाईन को टेप नहीं करने दिया गया इसलिए आवेदक द्वारा किया गया कार्य अपूर्ण है उचित नहीं है। लाईन के निर्माण की अवधि में अनावेदक द्वारा सुपरवीजन करने के पूर्व आवेदक द्वारा लाईन गलत जगह से डाली जा रही है इसके संबंध में भी कोई आपत्ति नहीं ली गई और ना ही इस बाबत् कोई दस्तावेज सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

25 एमईएस अधिकारी द्वारा लाईन चार्ज न करने देने की स्थिति में अनावेदक को स्वीकृत प्राक्कलन को निरस्त कर आवेदक द्वारा बताये गये विकल्प मार्ग के अनुसार नया प्राक्कलन स्वीकृत किया जाना था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया।

26 आवेदक द्वारा स्वयं विद्युत लाईन डालने हेतु नया विकल्प खोजा गया परन्तु उस मार्ग में कृषकों के खेत होने के कारण एवं फसल बोई जाने पर उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। अतः अंत में आवेदक द्वारा नये विकल्प मार्ग पर लाईन डालकर 19.8.2009 को चार्जिंग परमीशन दी गई जोकि उनके द्वारा दिनांक 20.8.2009 को अनावेदक को प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार अनावेदक द्वारा 8.9.2009 को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया।

27 उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अनुबंध निष्पादित की तिथि 6.6.2008 से 2 माह 5 दिन के अंदर ही कार्य पूर्णता की रिपोर्ट अनावेदक को प्रस्तुत कर दी थी। इस प्रकार उनके द्वारा अनुबंध की कंडिका 22(बी) का पूर्णतः पालन किया गया।

28 आवेदक द्वारा लाईन बिछाने का कार्य स्वीकृत प्राक्कलन में दर्शाये नक्शे के अनुसार किया गया। लाईन पूर्ण होने के पश्चात उसे विद्यमान 33 केवी एयर फोर्स फीडर से जोड़कर लाईन चार्ज करने की जबावदारी अनुज्ञप्तिधारी की थी, परन्तु एमईएस अधिकारी द्वारा लाईन नहीं जोड़ने दिये जाने पर लाईन विद्युतीकृत नहीं की जा सकी, जिससे आवेदक के परिसर तक विद्युत उपलब्ध नहीं हो सकी। कार्य पूर्ण होने पर आवेदक के परिसर तक विद्युत उपलब्ध होने की दशा में ही अनावेदक को विद्युत उपलब्धता की सूचना आवेदक को दी जानी थी परन्तु उनके द्वारा परिसर तक विद्युत उपलब्धता के बिना दिनांक 8.9.2008 को नोटिस जारी कर दिया गया।(ओई–8)

29 अनावेदक द्वारा विकल्प मार्ग से लाईन डालकर उसको विद्युत सुरक्षा मध्यप्रदेश शासन से लाईन चालू करने की अनुमति दिनांक 19.8.2008 को प्रस्तुत की गई जिसके पश्चात ही विद्युत उपलब्धता की सूचना अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा विद्युत कनेक्शन देने की तिथि जो भी पहले हो से बिलिंग प्रारंभ की जानी थी, आवेदक को दिनांक 8.9.2009 को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया जिसके अनुसार उन्हें प्रथम बिल सितंबर 2009 में ही जारी किया जाना था। अनावेदक द्वारा सितंबर 2009 के विद्युत देयक के साथ अक्टूबर 2008 से अगस्त 2009 तक की अवधि की न्यूनतम राशि 5,41,238/– जोड़कर दी गई जो कि उचित नहीं है, क्योंकि इस अवधि में आवेदक के परिसर तक विद्युत उपलब्ध ही नहीं था।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ आवेदक के परिसर तक विद्युत उपलब्ध नहीं होने की दशा में भी अनावेदक द्वारा रूपये 5,41,238/– की न्यूनतम बिलिंग वैद्य न होने के कारण निरस्त की जाए।

ब यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि अनावेदक द्वारा उक्त राशि से संबंधित किसी अन्य राशि अथवा सरचार्ज का भुगतान लिया गया हो तो उसका समायोजन आवेदक के आगामी विद्युत देयकों में किया जाए।

स फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

द उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

30 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल